

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 24-10-2024

विषय सूची

चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा

16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा को अपनाया गया

उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा

पराली जलाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उच्चतम न्यायालय

संक्षिप्त समाचार

पीएम यशस्वी योजना (PM YASASVI Scheme)

पीएम श्री योजना (PM SHRI Scheme)

ई-कोली (E-coli) का प्रकोप

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

बिहार में प्रथम ड्राई पोर्ट/शुष्क बंदरगाह

गुलाबी/पिंक कोकेन

हिम तेंदुआ (पेंथेरा यून्सिया)

कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन

लाहौर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर

चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा

सन्दर्भ

- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात दाना एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा तथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर लैंडफॉल होगा।

चक्रवात क्या है?

- चक्रवात हवा की एक बड़ी प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है।
 - यह सामान्यतः हिंसक तूफान और खराब मौसम के साथ होता है।
- चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाएँ हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) चक्रवातों को सामान्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: वहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

वहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- वहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें मध्य-अक्षांश चक्रवात भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधों के बाहर उत्पन्न होते हैं।
- इनके केन्द्र में ठंडी हवा होती है, तथा ये अपनी ऊर्जा ठंडी और गर्म वायुराशियों के परस्पर संपर्क से उत्पन्न संभावित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं।
- ऐसे चक्रवातों में हमेशा एक या एक से अधिक अग्रभाग होते हैं - एक मौसम प्रणाली जो दो विभिन्न प्रकार के वायु द्रव्यमानों के बीच की सीमा होती है।
 - एक का प्रतिनिधित्व गर्म हवा द्वारा किया जाता है और दूसरे का प्रतिनिधित्व ठंडी हवा द्वारा किया जाता है - जो इन दोनों से जुड़ी होती है, तथा भूमि या महासागर के ऊपर हो सकती है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं।
 - उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं।
- ऐसे चक्रवात तब बनते हैं जब तूफानी गतिविधियां परिसंचरण केंद्र के करीब बनने लगती हैं, तथा सबसे तेज हवाएं और बारिश अब केंद्र से दूर नहीं होती हैं।
- एजेंसी ने कहा कि तूफान का केंद्र गर्म हो जाता है, और चक्रवात को अपनी अधिकांश ऊर्जा "गुप्त ऊष्मा" से मिलती है, जो गर्म समुद्री जल से वाष्पित होकर तरल पानी में परिवर्तित होने पर निकलती है।
 - इसके अतिरिक्त, गर्म वाताग्र या ठंडे वाताग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबद्ध नहीं होते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थान और शक्ति के आधार पर उनके अलग-अलग नाम होते हैं।
 - **हरिकेन:** कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी तथा मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर।
 - **टाइफून:** पश्चिमी उत्तरी प्रशांत में।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

- **वृहद् जल निकाय:** यह तूफान के लिए जल का निरंतर स्रोत प्रदान करता है।
- **कोरिओलिस बल की उपस्थिति:** यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, तथा चक्रवात को उसकी विशिष्ट वृत्ताकार गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है।
 - यह बल हवाओं को विक्षेपित कर देता है, तथा उन्हें तूफान के निम्न-दबाव केंद्र की ओर घुमाता है।
- **पूर्व-मौजूदा निम्न-दबाव परिसंचरण:** उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्न-दबाव केंद्र द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे सामान्यतः चक्रवात की आंख के रूप में संदर्भित किया जाता है।
 - इस आँख के चारों ओर हवा एकत्रित होती है, ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जिसके परिणामस्वरूप बादल बनते हैं तथा भारी वर्षा होती है।
- **गर्म समुद्री तापमान:** सतह का गर्म पानी (26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) उसके ऊपर की हवा को उष्ण कर देता है, जिससे हवा ऊपर उठती है और तूफान का केंद्र बनती है।

चक्रवातों का IMD वर्गीकरण

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवातों को उनसे जुड़ी निरंतर हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है
 - **चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm):** 62-88 किमी प्रति घंटा
 - **गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm):** 89-117 किमी प्रति घंटा
 - **बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm):** 118-167 किमी प्रति घंटा
 - **अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (Extremely Severe Cyclonic Storm):** 168-221 किमी प्रति घंटा
 - **सुपर चक्रवाती तूफान (Super Cyclonic Storm):** 222 किमी प्रति घंटे से अधिक

Source: [IE](#)

16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कज़ान घोषणा को अपनाया गया

सन्दर्भ

- रूस द्वारा आयोजित कज़ान शिखर सम्मेलन में न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु

- शिखर सम्मेलन में जारी किया गया कज़ान घोषणापत्र एक व्यापक दस्तावेज़ है जो भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ब्लॉक के एकीकृत प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।
- कज़ान घोषणापत्र में शांति को बढ़ावा देने, एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ "न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने" पर बल दिया गया।

- रूस ने स्विफ्ट के खिलाफ ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली पर बल दिया, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क जिससे 2022 में रूसी बैंकों को काट दिया गया था, साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़ती स्थिति पर भी।
- ब्रिक्स राष्ट्र ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और ब्रिक्स (Re) इंश्योरेंस कंपनी जैसी पहलों का पता लगाने पर सहमत हुए।
- शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स भागीदार देश श्रेणी के निर्माण का भी समर्थन किया, जो अन्य देशों को विभिन्न परियोजनाओं पर ब्रिक्स के साथ सहयोग करने की अनुमति देगा।
- टीका विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स R&D वैक्सीन केंद्र की घोषणा की गई।
- शिखर सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई।

ब्रिक्स क्या है?

- यह एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- **उत्पत्ति:** BRIC शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था।
- समूह ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान वार्षिक बैठकें आयोजित करना शुरू किया और इसकी सफलता के कारण औपचारिक शिखर सम्मेलन हुए।
 - BRICS राष्ट्र 2009 से हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं।
 - दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था।
- **BRICS का विस्तार:** अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और UAE BRICS में छह नए सदस्य हैं।


■ Founding member ■ New member ■ Prospective member



- यह विश्व के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करते हैं।

Brics countries and their GDPs

GDP in trillions of US dollars



Source: World Bank/OECD

B B C

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को दृढ़ करना:** भारत ब्रिक्स को विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक मंच के रूप में देखता है।
- **वैश्विक शक्ति को संतुलित करना:** ब्रिक्स पश्चिमी-प्रभुत्व वाले गठबंधनों जैसे कि G7 के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। भारत के लिए, यह अपने विदेशी संबंधों में विविधता लाने और पश्चिमी शक्तियों पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है।
- **व्यापार विविधीकरण:** ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** यह ब्रिक्स देशों को भारत के विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करता है।

चुनौतियां

- **अलग-अलग एजेंडे:** आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर भारत की चिंताएँ चीन और रूस जैसे अन्य सदस्यों से भिन्न हो सकती हैं, जो इन मुद्दों पर अपने क्षेत्रीय एवं भू-राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** ब्रिक्स के अंदर चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से ईरान और सऊदी अरब (जिनके चीन के साथ मजबूत संबंध हैं) जैसे देशों के शामिल होने से, ब्रिक्स के चीन समर्थक गुट की ओर झुकाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **मध्य पूर्वी गठबंधनों को संतुलित करना:** ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल करने से मध्य पूर्व के अंदर भारत के रिश्तों में जटिलताएँ आती हैं।

- **व्यापार बाधाएँ:** टैरिफ, विनियामक मतभेद और मुद्रा संबंधी मुद्दे जैसे अंतर-ब्रिक्स व्यापार बाधाएँ बनी रहती हैं, जो समूह के अंदर व्यापार के अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने की भारत की क्षमता को सीमित करती हैं।

आगे की राह

- ब्रिक्स में भारत की भागीदारी, अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और तेजी से गतिशील भू-राजनीतिक वातावरण में वैश्विक शासन को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में, भारत ने लगातार यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक सहयोगी मंच बना रहे।
- ब्रिक्स भारत को अपने व्यापार नेटवर्क में विविधता लाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और संयुक्त बुनियादी ढांचे तथा विकास पहलों में शामिल होने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।
- इस संदर्भ में, भारत को अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के संसाधनों का रणनीतिक रूप से उपयोग करना चाहिए।

Source: [TH](#)

उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यों को न केवल मादक पेय पदार्थों पर, बल्कि 'औद्योगिक' अल्कोहल पर भी कर लगाने का अधिकार है।

परिचय

- औद्योगिक अल्कोहल मानव उपभोग के लिए नहीं है। न्यायालयके सामने मुख्य व्याख्यात्मक प्रश्न यह था कि क्या "मादक शराब" को "औद्योगिक अल्कोहल" के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
- और क्या राज्य इसे विनियमित कर सकते हैं या क्या केंद्र का इस विषय पर विशेष नियंत्रण है।

विवाद

- यह विवाद संविधान की सातवीं अनुसूची में दो "अतिव्यापी" प्रविष्टियों से उत्पन्न होता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन निर्धारित करती है।
 - सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 राज्यों को "मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री" को विनियमित करने की शक्ति देती है।
 - सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 52 केंद्र को उद्योगों को समग्र रूप से विनियमित करने की अनुमति देती है।

- केंद्र ने तर्क दिया कि औद्योगिक अल्कोहल के मामले में वह "क्षेत्र पर कब्जा" करता है, और राज्य इस विषय को विनियमित नहीं कर सकते। दूसरी ओर, राज्यों ने तर्क दिया कि औद्योगिक अल्कोहल का दुरुपयोग अवैध रूप से उपभोग योग्य शराब बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है।

औद्योगिक अल्कोहल

- औद्योगिक अल्कोहल अशुद्ध अल्कोहल है जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है।
- अनाज, फल, गुड़ आदि को किण्वित करके बनाए जाने वाले इथेनॉल में बेंजीन, पाइरीडीन, गैसोलीन आदि जैसे रसायनों को मिलाने से - एक प्रक्रिया जिसे 'विकृतीकरण' कहा जाता है - यह औद्योगिक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है।
- इससे अल्कोहल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, और इसकी कीमत काफी कम हो जाती है।
- इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई तरल पदार्थों सहित कई उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है।
- कभी-कभी इसका उपयोग अवैध शराब, सस्ते और खतरनाक नशीले पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, जिनके सेवन से अंधापन और मृत्यु सहित गंभीर जोखिम होते हैं।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शराब पर लगाया जाने वाला कर राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है, राज्य सरकारें प्रायः आय बढ़ाने के लिए शराब की खपत पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ती हैं।
- यह निर्णय उद्योगों पर नियंत्रण के मामले में केंद्र-राज्य संबंधों पर भी स्पष्टता प्रदान करता है।
 - यह राज्य सूची के विषयों पर कानून पारित करने के लिए राज्यों की शक्ति की पुष्टि करता है, यहां तक कि समग्र रूप से 'उद्योगों' के नियंत्रण के संबंध में केंद्र को दी गई व्यापक शक्तियों के बावजूद भी।
- इस निर्णय ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के 1990 के निर्णय को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि "मादक शराब" का तात्पर्य केवल पीने योग्य शराब है और इसलिए, राज्य औद्योगिक अल्कोहल पर कर नहीं लगा सकते। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि "जब प्रविष्टियों की दो संभावित व्याख्याएँ हों, तो न्यायालय को वह चुनना चाहिए जो संघीय संतुलन बनाए रखे"।

सातवीं अनुसूची

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह अतिव्यापी या परस्पर विरोधी कानून को रोकता है।
- **तीन सूचियाँ:**
 - **संघ सूची:** इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है।

उदाहरणों में रक्षा, विदेशी मामले और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।

- **राज्य सूची:** इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। उदाहरणों में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि शामिल हैं।
- **समवर्ती सूची:** इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। किसी विवाद की स्थिति में, संघ का कानून लागू होता है। उदाहरणों में शिक्षा, विवाह और दिवालियापन शामिल हैं।

Source: TH

पराली जलाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उच्चतम न्यायलय

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पराली जलाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

परिचय

- न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में चिंता जताई। न्यायालय ने यह भी बताया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत जुर्माना संग्रहण करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई है।

पराली जलाना क्या है?

- यह चावल, गेहूँ और अन्य अनाज की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों (पराली) को जानबूझकर आग लगाने की प्रथा है।
- यह विधि सामान्यतः उत्तर भारत में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में अपने खेतों को जल्दी से साफ करने और अगले बुवाई के मौसम के लिए उन्हें तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है।
- पराली जलाने से निकलने वाले धुँएँ में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10), कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीनहाउस गैसों जैसे हानिकारक प्रदूषक होते हैं, जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पराली जलाने के कारण

- **लागत-प्रभावशीलता:** यह बड़े खेतों को साफ करने का एक त्वरित और सस्ता तरीका है।
- **समय की बचत:** विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां कटाई और बुवाई के मौसम के बीच कम समय होता है।
- **सीमित विकल्प:** किसानों के पास किफायती मशीनरी तक पहुंच की कमी हो सकती है जो प्रभावी रूप से पराली को हटा सकती है।

दिल्ली अन्य महानगरों की तुलना में अधिक प्रदूषित क्यों है?

- सबसे पहले, दिल्ली का सिंधु-गंगा के मैदान में स्थित होना इसकी भौगोलिक स्थिति और आसपास के पहाड़ों के कारण प्रदूषकों को फंसा लेता है, जो प्रदूषकों को फैलने से रोकते हैं।

- दूसरा, आस-पास के राज्यों द्वारा पराली जलाने से भारी मात्रा में धुआँ निकलता है, जो दिल्ली की ओर बहता है और देर से शरद ऋतु तथा शुरुआती सर्दियों के दौरान वायु की गुणवत्ता को खराब करता है।
- तीसरा, औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से वातावरण भी खराब हो जाता है।
- चौथा, सर्दियों के दौरान दिल्ली में तापमान उलटा होता है, जहाँ ठंडी हवा प्रदूषकों को ज़मीन के करीब फँसा लेती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(CAQM)

- CAQM का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत किया गया था।
- **उद्देश्य:** अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान तथा समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- आयोग की शक्तियों में शामिल हैं;
 - वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोड तथा दिशानिर्देश तैयार करना निरीक्षण या विनियमन सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।
 - आयोग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पराली जलाने से प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसानों से पर्यावरण मुआवजा लगा सकता है और उसका संग्रहण कर सकता है।
 - आयोग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आदेश जारी करता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में, आयोग के आदेश या निर्देश संबंधित राज्य सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य PCBs और राज्य स्तरीय वैधानिक निकायों के आदेशों पर प्रबल होंगे।

Source: [TH](#)

संक्षिप्त समाचार

पीएम यशस्वी योजना (PM YASASVI Scheme)

समाचार में

- पीएम यशस्वी योजना छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है।

पीएम यशस्वी के बारे में

- वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (PM-YASASVI) का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और विमुक्त जनजातियों (DNT) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान करके उनका उत्थान करना है।
- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, यह वंचित छात्रों के लिए एक सुव्यवस्थित सहायता प्रणाली बनाने के लिए पिछली छात्रवृत्ति पहलों को एकीकृत करता है।
- **चयन प्रक्रिया:** उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित YASASVI प्रवेश परीक्षा (YET) के आधार पर किया जाता है।

छात्रवृत्ति के प्रकार

- **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए, 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए 4,000 रुपये का वार्षिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** उच्च शिक्षा के लिए, पाठ्यक्रम के आधार पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का भत्ता।
- **उच्च श्रेणी की शिक्षा:** शीर्ष विद्यालयों और कॉलेजों में मेधावी छात्रों को ट्यूशन और अन्य खर्चों को कवर करने के लिए सहायता।
- **छात्रावास निर्माण:** शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए OBC छात्रों के लिए सुविधाएँ।

उद्देश्य

- यह शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और कमज़ोर समूहों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है।
- यह वित्तीय बाधाओं को संबोधित करता है, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षिक विकास के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, इस प्रकार एक अधिक समावेशी समाज में योगदान देता है।
- यह हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और 2047 तक समृद्ध भारत के दृष्टिकोण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Source :PIB

पीएम श्री योजना (PM SHRI Scheme)

समाचार में

- दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर PM-SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को अपनाया है।

पीएम श्री स्कूल के बारे में

- पीएम श्री स्कूल पहल भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य KVS और NVS सहित विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूल स्थापित करना है।

- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुरूप है, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आता है यह स्वागत योग्य और सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाने पर केंद्रित है जो विविध शैक्षिक अनुभव तथा गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।
- मुख्य उद्देश्यों में छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना शामिल है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित है।
- इससे 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्षतः लाभ मिलने की उम्मीद है और यह स्कूली शिक्षा में नीतियों और प्रथाओं को सूचित करेगा।
- कार्यान्वयन की योजना 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों में बनाई गई है, जिसमें सीखे गए सबक को देश भर के अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।

Source:TH

ई. कोली(E. coli) का प्रकोप

समाचार में

- मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने के बाद ई.कोली संक्रमण के कारण अमेरिका में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एस्चेरिचिया कोली (ई. कोली/E. coli) के बारे में

- ई. कोली बैक्टीरिया कहलाने वाले कीटाणु हैं। ये पर्यावरण, भोजन, पानी और लोगों और जानवरों की आंतों सहित विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं।
- ई. कोली के अधिकांशतः स्ट्रेन हानिरहित होते हैं। कुछ स्ट्रेन, जैसे शिगा टॉक्सिन-उत्पादक ई. कोली (STEC), गंभीर खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- संचरण: मुख्य रूप से दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है, जिसमें शामिल हैं:
 - कच्चा या अधपका पिसा हुआ मांस
 - कच्चा दूध
 - दूषित कच्ची सब्जियाँ और अंकुरित अनाज
- **लक्षण:** बुखार, उल्टी, दस्त।
- **उपचार:** ई. कोली संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। मजबूत एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति ई. कोली की संवेदनशीलता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2017 में 81.4% से घटकर 2023 में 62.7% हो गई है।
- FSSAI भारत भर में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए ई. कोली सहित रोगजनकों के लिए खाद्य उत्पादों का परीक्षण करने के लिए 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है।

Source:IE

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

सन्दर्भ

- लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूनिफ़िल ने हाल के दिनों में इज़रायल रक्षा बलों (IDF) पर जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
 - इसके विभिन्न आलोचना के घेरे में आ गए हैं, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

परिचय

- लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की स्थापना 1978 में इज़रायल द्वारा आक्रमण के बाद देश की दक्षिणी सीमा पर गश्त करने के लिए की गई थी।
- एजेंसी लेबनान और इज़रायल के बीच के क्षेत्रों में शांति बनाए रखना चाहती है।
- यह "ब्लू लाइन" के पार इज़रायली या लेबनानी सेना की किसी भी गतिविधि पर नज़र रखता है, जो 75 मील (120 किमी) की संयुक्त राष्ट्र-मानचित्रित रेखा है जो वास्तविक सीमा बन गई है।
 - इसे लेबनानी राष्ट्रीय सेना को क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त रखने में सहायता करने का भी कार्य सौंपा गया है।
- यह उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि लेबनान की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति हिजबुल्लाह देश के दक्षिणी हिस्से को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती है।
- भारत की 1998 से UNIFIL में उपस्थिति है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उसके बाद भारत, घाना, नेपाल और इटली हैं।

Source: IE

बिहार में पहला ड्राई पोर्ट/शुष्क बंदरगाह

सन्दर्भ

- बिहार को अपना पहला ड्राई पोर्ट राज्य की राजधानी पटना के निकट बिहटा नामक कस्बे में मिला।

परिचय

- ड्राई पोर्ट या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा प्रदान करता है।
 - यह समुद्री/हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे वस्तु की कुशल आवाजाही की सुविधा मिलती है।
- **महत्व:** बिहार के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी क्योंकि इसके निर्यात वस्तु मुख्य रूप से कृषि आधारित हैं, वस्त्र और चमड़े के उत्पाद विभिन्न स्थानों पर निर्मित होते हैं।
 - बिहार आलू, टमाटर, केला, लीची और मखाना (फॉक्स नट्स) जैसे फलों और सब्जियों का एक प्रमुख उत्पादक है।

Source: IE

गुलाबी/पिंक कोकेन

समाचार में

- पिंक कोकेन, जिसे 'टूसी' के नाम से भी जाना जाता है, एक मनोरंजक दवा है जो मशहूर हस्तियों के बीच अपने उपयोग के कारण सुर्खियों में है।

पिंक कोकेन के बारे में

- अपने नाम के बावजूद, पिंक कोकेन में सामान्यतः वास्तविक कोकेन नहीं होता है। यह दवाओं का एक मिश्रण है, मुख्य रूप से केटामाइन, जिसे मेथामफेटामाइन, एमडीएमए और यहां तक कि ओपिओइड जैसे अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, जिसमें प्रायः गुलाबी रंग मिलाया जाता है।
- पिंक कोकेन का उपयोग मुख्य रूप से क्लबिंग संस्कृति के अंदर किया जाता है, या तो पाउडर के रूप में सूंघा जाता है या गोली के रूप में लिया जाता है।
- यह दवा गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी है, जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, मनोविकृति और लत।

Source: LM

हिम तेंदुआ (पेंथेरा यून्सिया)

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया।

हिम तेंदुआ (पेंथेरा यून्सिया) के बारे में

- हिम तेंदुए के पास एक सुंदर, धब्बेदार कोट होता है, जो उन्हें ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त मोटा होता है। इसे प्रायः पहाड़ का भूत कहा जाता है।
- रोसेट्स छोटे धब्बों को घेरने वाले बड़े छल्ले होते हैं। WWF कैमरा ट्रैप अनुसंधान करते समय व्यक्तिगत हिम तेंदुओं की पहचान करने के लिए स्पॉट पैटर्न पर निर्भर करता है।
- **वितरण:** वे मध्य एशिया के 12 देशों में पाए जाते हैं, दक्षिणी रूस से लेकर तिब्बती पठार तक, जिसमें मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और नेपाल शामिल हैं।
- **खतरे:** प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की हानि, मनुष्यों के साथ संघर्ष के कारण प्रतिशोध में हत्या और इसके फर तथा हड्डियों का अवैध व्यापार।
- **संरक्षण:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची द्वारा 'असुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत और भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I प्रजातियों में सूचीबद्ध।
- यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है।

Source: TH

कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन

समाचार में

- राजस्थान के जैसलमेर स्थित सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र ने कृत्रिम गर्भाधान (AI) का उपयोग करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया।

बस्टर्ड पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम

- प्रजनन केंद्र, 2016 में शुरू किए गए बस्टर्ड पुनर्प्राप्ति प्रोग्राम का हिस्सा है, जो अंततः GIBको जंगल में पुनः लाने के लिए बंदी प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- परिचय:**
 - भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक।
 - सर्वाहारी
 - राजस्थान का राज्य पक्षी
- प्राकृतिक वास:**
 - जंगली, शुष्क घास के मैदान।
 - जैसलमेर और राजस्थान के पोखरण के पास भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित फील्ड फायरिंग रेंज में GIBs की अधिकतम संख्या पाई गई।
 - अन्य क्षेत्र:** गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
- संरक्षण स्थिति:**
 - IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध।
- पक्षी के लिए खतरे:**
 - शिकार, कृषि का गहनीकरण, विद्युत लाइनें।

GIB के संरक्षण के लिए भारतीय पहल

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन-एक एकीकृत दृष्टिकोण।
- राजस्थान में बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन केंद्र।
- राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

Source: HT

लाहौर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर

सन्दर्भ

- वायु गुणवत्ता मॉनीटर IQAir ने लाहौर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 394 रहा।

परिचय

- IQAir वायु में वर्तमान खतरनाक PM2.5 कणों की सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है।
- लाहौर में AQI का मान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश मान से 55.6 गुना अधिक है।
- 100 से अधिक AQI को अस्वस्थ माना जाता है, जबकि 150 से अधिक के स्तर को 'बहुत अस्वस्थ' माना जाता है।

प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने के लिए कार्रवाई

- **कृत्रिम वर्षा:** धुंध के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में योजना बनाई गई।
- **धुंध विरोधी दस्ता:** फसल जलाने को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं पर किसानों को शिक्षित करना।

WHO वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश

- वे सरकारों और संगठनों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
- पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की अनुशंसित सीमाएँ:
 - PM2.5: WHO 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ की वार्षिक औसत सीमा और 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ की 24 घंटे की सीमा की सिफारिश करता है।
 - PM10: दिशानिर्देश 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ की वार्षिक औसत सीमा और 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ की 24 घंटे की सीमा का सुझाव देता है।

Source: [IE](#)